

न्यायालय, समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

मद्यनिषेध और उत्पाद वाद संख्या-93/2017

राज्य बनाम किरण यादव

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-संदिग्ध
1.	02.	3.
05.9.2017	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक-4272/सी0आर0, दिनांक 23.08.2017 के द्वारा अपराधकर्मी किरण यादवा, पिता-स्व0 मांगन यादव, ग्राम-दाननगनर वार्ड नं०-06, थाना+जिला-खगड़िया को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-66 के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अपराधकर्मी के विरुद्ध निम्नलिखित अपराधिक मुकदमें खगड़िया (नगर) थाना में दर्ज हैं:-</p> <p>01. खगड़िया (नगर) थाना कांड संख्या-631/2016 दिनांक 06.11.2016 धारा-30/35/38 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में आरोप पत्र संख्या-349/2017 दिनांक 29.06.2017 समर्पित</p> <p>02. खगड़िया (नगर) थाना कांड संख्या-389/2016 दिनांक 20.06.2016 धारा-272/273 भा0द0वि0एवं 47(ए)बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2016 में आरोप पत्र संख्या-951/2016 दिनांक 12.12.2016 समर्पित ।</p> <p>मुकदमें में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद एक्ट के धाराओं के तहत आरोपित है। Offence against property or Offence affecting human body से संबंधित कार्यों के द्वारा आदतन शराब कारोबारी है। चोरी छिपे शराब को रखने एवं बेचने की संभावना है, जिससे इलाके का माहौल बिगड़ने की संभावना है।</p> <p>अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर खगड़िया के माध्यम से तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। उत्तरवादी न्यायालय में अनुपस्थित। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त को अपने बचाव में कोई दावा/पक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं/सक्षम नहीं है। नोटिस में उपस्थित रह कर कारण पृच्छा समर्पित करने के स्पष्ट निदेश के बावजूद उपस्थित नहीं होने से आरोप का स्वीकारात्मक पक्ष प्रदर्शित होता है। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद अधिनियम) उपस्थित हुए तथा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-66 के तहत कार्रवाई करना उचित एवं न्यायसंगत बताया।</p> <p>प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास रहा है एवं खगड़िया अर्न्तगत निरन्तर शराब रखने एवं बेचने के कारण मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 के अर्न्तगत ये आदतन की श्रेणी में आते हैं। इन्हें प्रथम बार खगड़िया (नगर) थाना कांड संख्या-389/2016 में जून 2016 में गिरफ्तार किया गया था परन्तु जमानत पर छुटने के पश्चात ये पुनः शराब के व्यापार में लगे रहे तथा पुनः खगड़िया (नगर) थाना कांड संख्या-631/2016 के अर्न्तगत माह नवम्बर 2016 में गिरफ्तार किए गए। इनके इस प्रकार के कृत्य से यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि ये भविष्य में भी शराब के कारोबार से संबंधित कृत्यों में लगे रह सकते हैं तथा अधिनियम के प्रावधानों</p>	

Recd for subd 15/09/17

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
	<p>का उल्लंघन कर सकते हैं।</p> <p>किरण यादव को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है तथा लिखित नोटिस द्वारा सूचना देकर स्पष्टीकरण देने हेतु समुचित अवसर भी दिया गया है। अभियुक्त न्यायालय में अनुपस्थित रहें।</p> <p>किरण यादव के कार्य वृत्त तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं क्षेत्र में उनके गतिशील रहने की स्थिति में मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधानों के भंग होने की प्रबल संभावना है। उन्हें extern किये जाने से शांति स्थापित रहने की संभावना हेतु बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-66(3)(क) अंतर्गत आदेश पारित करना नितान्त आवश्यक हो गया है।</p> <p>अतः मैं जय सिंह, भा0प्र0से0, जिला समाहर्ता, खगड़िया मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 66(3)(क) के अन्तर्गत किरण यादव पे0-स्व0 मांगन यादव, साकिन-दाननगर वार्ड नं0-06, थाना+जिला खगड़िया, का निर्दिष्ट दिनांक 06.09.2017 से अगले 6 (छः) माह तक खगड़िया राजस्व जिले की सीमा में प्रवेश प्रतिबंधित करता हूँ।</p> <p>किरण यादव पे0-स्व0 मांगन यादव साकिन-दाननगर वार्ड नं0-06 थाना+जिला-खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 06.09.2017 से अगले 06(छः) माह तक अर्थात् 06.03.2018 तक खगड़िया राजस्व जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 66(3)(क) के अन्तर्गत पारित इस आदेश का उल्लंघन किए जाने की दशा में धारा 70 के अन्तर्गत कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, खगड़िया द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।</p> <p>अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत यह अनुमति प्रदान की जाती है कि न्यायालय वाद की सुनवाई में यदि किरण यादव की उपस्थिति की अपेक्षा न्यायालय द्वारा की जाती है तो उस तिथि विशेष को वे खगड़िया राजस्व जिले में प्रवेश कर सकते हैं परन्तु न्यायालय में उपस्थिति के 12 घंटों के समाप्त होने से पहले ही उन्हें जिले के सीमा से बाहर चले जाना होगा। इसके साथ ही ऐसे प्रत्येक आगमन की सूचना थानाध्यक्ष चित्रगुप्तनगर जिला खगड़िया में स्वयं उपस्थित होकर देनी होगी जिसका इन्द्राज स्टेशन डायरी में किया जाएगा। इस आदेश से थानाध्यक्ष खगड़िया/थानाध्यक्ष चित्रगुप्तनगर /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर खगड़िया/पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को संसूचित कर दें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="375 1713 550 1870"> <p>समाहर्ता, खगड़िया</p> </div> <div data-bbox="566 1646 949 1870"> </div> <div data-bbox="1037 1668 1236 1848"> <p>समाहर्ता, खगड़िया</p> </div> </div>	

की तम
तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02.

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी
तारीख-सहित
3.

डी0 बी0 नं0.....5680...../विधि, दिनांक...6/9/2017

प्रतिलिपि:-किरण यादव, पे0-स्व मांगन यादव, साकिन-दाननगर वार्ड
नं0-06 थाना-खगड़िया, जिला-खगड़िया को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर
खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया/थानाध्यक्ष, चित्रगुप्तनगर, खगड़िया को सूचनार्थ एवं
अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ
प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
खगड़िया।
6/9/2017

File

